संख्या : 1855/III(1)/17–01(14)/अधि0/17

प्रेषक,

प्रदीप मोहन नौटियाल,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017

विषयः–राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–217/XXX–2/2017/55(02)/17, दिनांक 06.07.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अपने विभाग के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में निर्गत कतिपय दिशा–निर्देशों के अनुसार स्कीनिंग कमेटी की बैठक प्रतिवर्ष सुनिश्चित कराये जाने के साथ कृत कार्यवाही की सूचना कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– अतः इस सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र दिनांक 06.07.2017 की छायाप्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में स्कीनिंग कमेटी की बैठक प्रतिवर्ष कराया जाना सुनिश्चित किये जाने तथा चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में तत्काल स्कीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर कमेटी की संस्तुति/निर्णय के कम में यदि शासन स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित हो तो तत्काल परीक्षण कर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, अन्यथा आपसे सम्बन्धित होने की स्थिति में नियमानुसार समस्त विधिक पहलुओं/विद्यमान शासनादेशों/नियमों को ध्यान में रखते हुये समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव।